सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर—272202 उ0प्र0 (भारत)
Email Id: registrar@suksn.edu.in, Website : www.suksn.edu.in

पत्रांक—1693/कु0स0का0/सि0वि0वि0/2026, दिनांक— 19-03-2026

सेवा में,

1. **अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,**
   सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. **प्रचार्य/प्राचार्या,**
   समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
   सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय— नशा मुक्ति भारत अभियान हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 12-03-2026 के उपरान्त दिये गये निर्देश के अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक (उ0शि0), शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज के पत्र संख्या—डिग्री विकास/3167/2025-26 दिनांक 18-03-2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें नशा मुक्ति अभियान के अन्तर्गत विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के स्तर पर नशा रोकने हेतु उपाय/निर्देश दिये गये है। (छाया प्रति संलग्न)

अतः उक्त के सम्बन्ध में संलग्न पत्र के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी के ई-मेल आई0डी0 registrar@suksn.edu.in पर दिनांक 20-03-2026 को पूर्वान्ह 11:00 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे उक्त सूचना ससमय शासन को प्रेषित किया जा सकें।

संलग्नक— यथोपरि।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक— /तददिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक (उ0शि0), शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. निजी सचिव, कुलपति, मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
4. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

प्रेषक,

ई – मेल/तत्काल

शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
प्रयागराज।

सेवा में,

1. **समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
2. **समस्त कुलसचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।**

पत्रांकः- डिग्री विकास/ 3167 /2025 – 26 दिनांक – 18 / 03 /2026

विषय – नशा मुक्ति भारत अभियान हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 12.03.2026 के उपरान्त दिये गये निर्देश के अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा नशा मुक्ति भारत अभियान हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 12.03.2026 को संपन्न बैठक में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के स्तर पर नशा रोकने हेतु निम्नवत् उपाय/निर्देश दिये गये हैं –

1. **जागरूकता कार्यक्रम** – विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में सेमिनार और वर्कशॉप का आयोजन। चिकित्सक, पुलिस या काउंसलर को आमन्त्रित कर नशे के नुकसान के बारे में जानकारी प्रदान किया जाना।
2. **रैली और पोस्टर अभियान** – छात्रों द्वारा "Say No to Drugs" रैली का आयोजन। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में पोस्टर, स्लोगन और पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन।
3. **काउंसलिंग और हेल्प** – विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में काउंसलिंग सेल का गठन।
4. **स्पोर्टस एक्टिविटी** – खेल, योग एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।
5. **सोशल मीडिया अभियान** – इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या महाविद्यालय समूह में नशा मुक्ति से जुड़े संदेश और वीडियो प्रसारित/शेयर करना एवं छात्र – छात्राओं को ड्रग्स के नुकसान के बारे में जानकारी देना।
6. **विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में एण्टी ड्रग्स समिति का गठन।**
7. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के छात्र – छात्राओं द्वारा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन एवं जरूरतमंद लोगों की मदद नशे की समस्या को काफी हद तक कम कर सकती है।

प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में शासन की बैठक में दिये गये उपाय/निर्देश के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय की ई – मेल आई0डी0 dhedegreevikas@gmail.com पर **03 कार्यदिवसों** में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

18/3/26

डॉ0 (शशि कपूर)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या – डिग्री विकास/ 3167-68 /उसी तिथि को।

प्रतिलिपि संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग – 3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ हेतु प्रेषित –

डॉ0 (शशि कपूर)
संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
कृते शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

O/C